निर्णय ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 26/2022 (धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955)

राज्य सरकार जरिये श्री राजेश बंसल प्रवर्तन अधिकारी, दूदू ।

प्रार्थी

बनाम

श्री मैसर्स बडज्याता बांट भण्डार मैन बाजार ग्राम सेवा के प्रोपराईटर श्री शान्तीलाल जैन निवासी ग्राम सेवा, तहसील मौजमाबाद ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जब्त शुदा 08 घरेलू गैस सिलेण्डर मय एलपीजी 56.800 किलोग्राम को साजसात (Confiscate) करने बाबत ।

उपस्थितः–

1. विभागीय पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री सोहन लाल सैनी अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से ।

निर्णय दिनांक 12.01.2023

1. संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि सम्पर्क पोर्टल पर परिवाद संख्या 082203013454811 दर्ज इस बाबत हुआ कि ग्राम सेवा तहसील मौजमाबाद में मैसर्स बडज्याता बांट भण्डार के प्रोपराईटर श्री शान्तीलाल जैन के द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर्स का अवैद्य व्यवसाय एवं भडारण किया जाता है, जिससे कभी भी जन धन हानि हो सकती है। जिस पर बहमराह प्रवर्तन स्टॉफ के गठित जांच दल द्वारा दिनांक 25.08.2022 को मैसर्स बडज्याता बांट भण्डार ग्राम सेवा पर श्री शान्तीलाल जैन एवं रूबरू मौतबिरान जांच की गई। जांच में उक्त दुकान पर 14. 2 किलोग्राम क्षमता के एचपीसीएल कम्पनी के 03 भरे हुये 02 खाली कुल 05 सिलेण्डर, आईओसीएल के 02 खाली एवं बीपीसीएल का एक भरा हुआ सिलेण्डर रखे हुये पाये गये । इस प्रकार मौके पर कुल 08 घरेलू सिलेण्डर जिनमें 56.800 किलोग्राम गैस भरी हुई पाई गई। मौके पर फर्म मालिक द्वारा उक्त घरेलू गैस सिलेण्डरो के कब्जे में रखे जाने बात कोई संतोषप्रद जबाब प्रस्तुत नहीं किया गया, न ही उक्त सिलेण्डर्स के कब्जे में रखे जाने बाबत कोई वैद्य दस्तावेज प्रस्तुत किये गये। इस प्रकार मौके पर अप्रार्थी श्री शांतीलाल जैन द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैद्य व्यवसाय एवं भण्डारण कर द्रविकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। मौके पर पाये गये उक्त सभी सिलेण्डरों को कब्जे राज लिया जाकर दूदू इण्डेन ग्रामीण वितरक दूदू के प्रतिनिधि श्री भागचन्द सैन की सुपुर्दगी में दिये ये। अतः जब्त 08 घरेलू गैस सिलेण्डर मय एलपीजी 56.800 कि.ग्रा. को राजसात (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करने एव जब्त गैस सिलेण्डर की

जिला कलक्टर
जयपुर

एलपीजी ज्वलनशील, विस्फोटक एवं जनहित के काम आने वाली वस्तु होने से धारा 6–ए (2) आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश प्रदान करने की इस्तदुआ कीं है।

2. प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। विभागीय पैरोकार के निवेदन पर जब्त सिलेण्डर की एलपीजी ज्वलनशील, विस्फोटक एवं जनहित की वस्तु होने से धारा 6–ए, (2) के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश दिनांक 30.08.2022 एवं 02.09.2022 को पारित किये जाकर जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय को निर्देशित किया गया कि जब्त सिलेण्डर का नियमानुसार अन्तरिम निस्तारण करा कर पालना प्रतिवेदन भिजवावें। नोटिस अप्रार्थी को जारी किये गये। अप्रार्थी की ओर से श्री सोहन लाल सैनी ने उपस्थित होकर वकालतनामा व जवाब पेश किया।

3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

4. प्रार्थी की ओर से पैरोकार रसद ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि जांच में उक्त दुकान पर 14. 2 किलोग्राम क्षमता के एचपीसीएल कम्पनी के 03 भरे हुये 02 खाली कुल 05 सिलेण्डर, आईओसीएल के 02 खाली एवं बीपीसीएल का एक भरा हुआ सिलेण्डर रखे हुये पाये गये । इस प्रकार मौके पर कुल 08 घरेलू सिलेण्डर जिनमें 56.800 किलोग्राम गैस भरी हुई पाई गई। मौके पर फर्म मालिक द्वारा उक्त घरेलू गैस सिलेण्डरो के कब्जे में रखे जाने बात कोई संतोषप्रद जबाव प्रस्तुत नहीं किया गया, न ही उक्त सिलेण्डर्स के कब्जे में रखे जाने बाबत कोई वैद्य दस्तावेज प्रस्तुत किये गये। इस प्रकार मौके पर अप्रार्थी श्री शांतीलाल जैन द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैद्य व्यवसाय एवं भण्डारण कर द्रविकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। उक्त कृत्य के पीछे अप्रार्थी की अवैद्य मुनाफा की आपराधिक मनः स्थिति एवं बदनीयति बखूबी सिद्व होती है। अतः उक्त जब्त घरेलू गैस सिलेण्डर मय एलपीजी को राजसात (Confiscate) किये जाने के आदेश फरमावे।

5. अप्रार्थी ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि अप्रार्थी के कब्जे से जब्त घरेलू गैस सिलेण्डर में से एक बीपीसीएल का प्रार्थी के पडौसी कैलाश खाती का है जो बैंगलोर कमाने खाने के लिए गया हुआ है, उसकी पत्नी घर पर अकेली औरत होने से गैस भरवाने के लिए दुकान पर रख कर गई थी। एक सिलेण्डर एचपीसीएल का अप्रार्थी के खेत की साझीदार महिला श्रीमती प्रेम देवी का है जो अक्सर खेत पर रहती है, इसलिए सिलेण्डर भरवाने के लिए दुकान पर रख कर गई थी। दो सिलेण्डर एचपीसीएल के अप्रार्थी के छोटे भाई निर्मल जैन के है जो प्रार्थी की दुकान का भागीदार है। दुकान से घर जाने पर ले जाने वाला था। दो सिलेण्डर आईओसीएल के अप्रार्थी की माताजी श्रीमती प्रभा देवी के नाम है जो अप्रार्थी के साथ अलग निवास करती है। दुकान पर गैस भरवाने के लिए रखे हुये थे। दो सिलेण्डर एचपीसीएल के अप्रार्थी स्वये के नाम एक खाली व एक भरा हुआ रखा था। जिनको अप्रार्थी शाम को अपने घर ले जाने वाला था। सभी जब्त किये गये सिलेण्डर्स के गैस कनेक्शन की डायरी अवलोकनार्थ प्रस्तुत है। अप्रार्थी द्वारा द्रविकृत

जिला कलक्टर
जयपुर

पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के किसी शर्त या धारा का उल्लंघन नहीं किया गया है। अतः जब्त घरेलू गैस सिलेण्डर रिलीज किये जाने के आदेश फरमावें।

6. उभय पक्ष द्वारा की गई बहस को गौर से सुना । पत्रावली एवं इस पर उपलब्ध फर्द मौका जब्ती दिनांक 25.08.2022 का भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया ।

7. अप्रार्थी ने जब्त किये गये सिलेण्डर्स दो स्वयं के दो छोटे भाई के, दो अपनी माताजी के, एक पडोसी व एक खेत की साझीदार का होना बताया है। समर्थन में गैस लिसेण्डर के कनेक्शन की डायरी मय शपथ पत्र प्रस्तुत की है। दौराने जांच मौके पर कुल 08 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 56.800 किलोग्राम एल पी जी के मिले है। उक्त कृत्य के पीछे अप्रार्थी की अवैद्य मुनाफा की आपराधिक मनः स्थिति एवं बदनीयति सिद्व नहीं होती है। इसलिए जब्त सिलेण्डर्स मय एलपीजी को रिलीज किया जाना वाजिब समझते है।

8. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 अस्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी के कब्जे से जब्त 08 घरेलू सिलेण्डर्स लौटाये जाने के आदेश दिये जाते है।

9. निर्णय की प्रति हस्ब कायदा जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय को प्रेषित हो । पत्रावली फैसल शुमार हो कर दर्ज नम्बर से कम हो ।

10. निर्णय आज दिनांक **12.01.2023** को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर
जयपुर